न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 102/2019

1. बलविन्द्र सिंह
2. कुलविन्द्र सिंह

पिसरान श्री बेअन्तसिंह जाति जटसिख साकिन सुन्दरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— वादीगण

—:: बनाम ::—

1. लाभसिंह पुत्र भगवान सिंह
2. बेअन्तसिंह पुत्र लाभसिंह
3. छिन्द्रपाल कौर पुत्री लाभसिंह पत्नि बोहड़सिंह

जाति जटसिख साकिन सुन्दरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। आर. नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र रमाणा अधिवक्ता
2. श्री नवीन जैन अधिवक्ता

——वादीगण

—— प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक :– 08.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दू सयुंक्त परिवार के कर्ता श्रीभगवान सिंह थे।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 11 एलजीडब्लयू के खाता सं. 71 के प.नं. 18/299 के किला नं. 25/1/.076 हैक, नहरी व खाता सं. 72 के प.नं. 18/299 के किला नं. 13/11.076, 14 ता 24, 25/2/.177 कुल 3.036 हैक. नहरी म.गै.मु. कृषि भूमि इस प्रकार दोनो खातों की कुल तादादी 3.112 है. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है ।

प्रतिवादी सं. 1–2 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 एलजीडब्लयू के खाता सं. 65 के प.नं. 25/295 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 है. नहरी म.गै.मु. ब.हि.ब. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है ।

वाद पत्र की दफा 3–4 में प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व में वादी के पडदादा श्री भगवान सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी । उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन ओद हुई तथा प्रतिवादी सं. 2 को दादा से प्राप्त हुई । इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है । अर्सा दराज पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 के मध्य पंचायत के मोहत विरान व्यक्तियों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का घरा घरू बंटवारा करवा दिया जिसमे वादीगण को वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कुल 3.112 हैक, कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 1–2 को वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि प्राप्त हुई । प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादीगण की बुआ है ने रोबरू बंटवारा

Scanned by CamScanner

अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के हक में त्याग कर दिया तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना स्वीकार किया। प्रतिवादी सं. 3 का वादीगण से हार्दिक स्नेह होने के कारण अपना हक व हिस्सा वादीगण के हक में मौखिक रूप से त्याग कर दिया ।

वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा घरू बंटवारा के समय से ही वादीगण के पास बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पडता है । इसलिए वादीगण ब.हि.ब. की घोषणा करवाने एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलनजन करवाने के अधिकारी है।

भूमि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतुक है।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :

(क). घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि के वादीगण ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलनजन किया जावे ।

(ख). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

(ग). अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे ।

वाद पत्र में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि चक नं. 11 एलजीडब्ल्यू के खाता स. 71 के प.नं. 18/299 के किला नं. 25/17.076 है.. खाता सं. 7) के प.नं. 18/299 के किला नं. 13/1, 14 ता 24, 25/2 की कुल 3.036 हैक, इस प्रकार दोनो खातों की कुल 3.112 हैक. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि प्रतिवादी स. 1 को विरासतन प्राप्त कृषि भूमि है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है । यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर आज से पूर्व किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद जेरकार नही है तथा उपरोक्त भूमि पर मौका पर किसी प्रकार का विवाद, स्थगन नहीं है

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 08.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढनें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री हरजिन्द्र सिंह स्वामी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री नवीन जैन अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझोते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होनें देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :-

वाद पत्र में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि चक नं. 11 एलजीडब्ल्यू के खाता स. 71 के प.नं. 18/299 के किला नं. 25/17.076 है.. खाता सं. 7) के प.नं. 18/299 के किला नं. 13/1, 14 ता 24, 25/2 की कुल 3.036 हैक, इस प्रकार दोनो खातों की कुल 3.112 हैक. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन प्राप्त कृषि भूमि है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है । यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर आज से पूर्व किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद जेरकार नहीं है तथा उपरोक्त भूमि पर मौका पर किसी प्रकार का विवाद, स्थगन नही है।

Scanned by CamScanner

वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई खर्चा एतराज नही होगा । राजीनामा पक्षकारान ने अपनी पूर्ण होश हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया हैं।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक नं. 11 एलजीडब्लयू के खाता सं. 71 के प.नं. 18/299 के किला नं. 25/1/.076 हैक, नहरी व इसी चक के खाता सं. 72 के प. नं. 18/299 के किला नं. 13/1/.076, 14 ता 24, 25/2/.177 कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि इस प्रकार दोनो खातों की कुल तादादी 3.112 हैक्टर भूमि में

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1, 2 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि. गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner